भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4214
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्यचर्या केन्द्र

4214. श्री पी. सी. सोहन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेंगलुरू में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्यचर्या केन्द्रों 'यूपीएचसी' को कुल कितनी निधि आवंटित की गई; और
(ख) कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और सेवा में सुधार के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं और जनता को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के दायरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के अंतर्गत निधियां जारी करना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

कर्नाटक राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	कर्नाटक	136.97	102.21	14,394.32	9,431.32	14,136.30	11,609.38

टिप्पणी:

1. व्यय में केन्द्रीय निर्गत, राज्य हिस्सा और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है।
2. स्त्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टें (अनंतिम)।

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक कर्नाटक राज्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	कर्नाटक	24,176.72	13,708.78	60,341.49	36,468.14	43,585.67	32,608.26

टिप्पणी:

1. व्यय में केन्द्रीय निर्गत, राज्य का हिस्सा और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है।
2. स्त्रोत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टें (अनंतिम)।

शहरी क्षेत्रों में आरएमएनसीए+एन सेवाएं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (यूपीएचसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस) के अनुसार प्रसव-पूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसवों, सिजेरियन सेक्शन, आईएफए गोलियों के वितरण, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण पर अनुवर्ती कार्रवाई, रोग प्रतिरक्षण कवरेज, प्रसवोत्तर और नवजात परिचर्या की व्यवस्था के संकेतकों में सुधार हुआ है। एनएफएचएस 5 और 4 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में प्रति प्रसव औसत जेबी खर्च 9,333 रुपये से घटकर 3,633 रुपये हो गया है। बेंगलुरु जिला (शहरी) में उपर्युक्त सर्वेक्षणों में सुधार को दर्शाने वाली फैक्टशीट उपलब्ध है:

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF43/KA_Bangalore.pdf

******